कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश
(कक्ष–राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स)
प्रियदर्शिनी वन विश्राम गृह परिसर, चार इमली, भोपाल – 462016
दूरभाष : 0755–2421459, 2421451, फैक्स : 0755–2766315
E-mail : acfstsfmp@mpforest.org

क्रमांक / STSF / 2015 / 257 भोपाल, दिनांक 02-12-2015

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
समस्त क्षेत्र संचालक, टाईगर रिजर्व
समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
मुख्य वन संरक्षक, सिंह परियोजना ग्वालियर
वनमण्डल अधिकारी,नौरादेही एवं कूनोपालपुर
समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश

विषय :– गंभीर वन्यप्राणी अपराधों,सहायक वन संरक्षकों को जांच अधिकारी नियुक्त कर आदेश पारित करने बावत्।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) की टीप के पालन में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत पत्र का अवलोकन हो। प्रदेश में वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों जैसे–बाघ, तेन्दूआ, भालू, पेंगोलिन एवं सेंड बोआ (दो मुंह वाला सांप) के शिकार एवं उनके अवयवों के अवैध व्यापार बढ़ते जा रहे है, वन्यप्राणियों के बढ़ते अपराधों में लिप्त आरोपी के साक्ष्य वर्तमान में प्रकाश में आ रहे है, उक्त प्रकरणों की जांच के लिए वन परिक्षेत्र अधिकारी वन्यप्राणी के अपराध जांच के लिए नियुक्त किये गये किन्तु उन्हे वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में कुछ अधिकार जो सहायक वन संरक्षक को ही दिये गये है, वे उसका उपयोग नही कर पाते है इस कारण न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से नही रख पाते है और इस कारण आरोपी न्यायालय से दोषमुक्त हो जाते है।

अतः भविष्य में प्रकाश में आने वाले गंभीर एवं संगठित वन्यप्राणी अपराध जो मुख्यतः बाघ, तेन्दूआ, भालू, पेंगोलिन एवं सेंड बोआ किसी वनमण्डल में घटित होते हैं तब उस क्षेत्र के सहायक वन संरक्षक/सहायक संचालक/ उपवनमण्डलाधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर उसकी संपूर्ण जांच जिसमें न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करना भी शामिल हो, संबंधित सहायक वन संरक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए, इस हेतु क्षेत्र संचालक/वनमण्डलाधिकारी संबंधित सहायक वन संरक्षक को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगें।

दिये गये निर्देशों का कढ़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

2.12.15
(रवि श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / STSF / 2015 / 258 भोपाल, दिनांक 02-12-2015

प्रतिलिपि :–

1. प्रभारी, राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, सागर, सतना, जबलपुर, इन्दौर एवं होशंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.